न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।

प्रकीर्ण वाद सं0–1085/2022

वादी बनाम दिनेश मुलैथा

<u>दिनांक–03.06.2023</u>

पत्रावली पेश हुई । वादी मुकदमा की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। न्यायहित में पत्रावली लंचबाद पेश हो।

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहरादून।

लंचबाद–

पत्रावली लंचबाद पेश हुई। प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा अनेकों बार पुकार लगवाई गई, जिसके बावजूद भी वादी न तो उपस्थित आये और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली वास्ते निस्तारण अंतिम रिपोर्ट नियत है। वादी को जारी नोटिस पर आख्या प्राप्त है, जिसमें अंकित किया गया है कि नोटिसकर्ता को नोटिस की तामील बजात खास अमल में लायी गयी। अतः वादी को नोटिस तामील पर्याप्त मानी जाती हैं, परन्तु वादी की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी तथा वादी लगतार अनुपस्थित है।

चूंकि वादी पर नोटिस तामील पर्याप्त है और वादी की ओर से कोई आपत्ति भी दाखिल नहीं की गई। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वादी आपत्ति प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है। अतः अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। तद्नुसार विवेचक की ओर से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश को NJDG पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहरादून।